राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	लाडा देवी बनाम उमेशचन्द 1028/2018 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.10.25	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित | प्रार्थी गणपत की और से अधिवक्ता श्री शिव सिंह चौधरी ने वकालतनामा मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 सीपीसी पेश किया, जिसे शामिल मिसल किया गया | अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 सीपीसी पर सुनी गयी | अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | दौराने बहस उद्धरित तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलार्थीयां लाडा देवी पत्नी स्व. प्रभातीलाल के वारिस प्रार्थी गणपत पुत्र लाडा देवी जाति जाट निवासी गुलाबबाड़ी, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर को रिकार्ड पर लिए जाने के आदेश प्रदान किये जाते है | तत्पश्चात प्रार्थी/अपीलार्थी ने अपने अभिभाषक के साथ उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र बाबत विड्रा किये जाने अपील पेश कर उसमे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलार्थी अपनी यह अपील अब आगे चलाना नही चाहता है एवं अपील विड्रा कर ख़ारिज कराना चाहता है | अत: अपील विड्रो कर ख़ारिज फरमायी जावे | प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर यह अपील आगे नही चलाने एवं अपील विड्रो कर ख़ारिज किये जाने की इस्तदुआ की गयी है | अत: अपील अपीलार्थी विड्रो किये जाने से ख़ारिज की जाती है | तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो | (हस्ताक्षर) राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	2101यत 13-10-2025